हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Sanskardhani Bhoomi - 22 Aug 2025 - Page 8

न्यायालयों में सुलह-समझौता का अभियान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिए जरूरी निर्देश

13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत, तैयारी के लिए आयोजित की गई बैठक

हरिभूमि न्यूज ⏭ कवर्धा

आगामी 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायालय, कबीरधाम में तैयारियां जोरो पर है। इसी क्रम में 20 अगस्त को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे ने न्यायिक अधिकारियां की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।

बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया कि ऐसे सभी प्रकरण, जो शमनीय एवं राजीनामा योग्य है, उन्हें चिन्हांकित कर शीघ्र ही संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी किया जाए। इन मामलों को लोक अदालत में समझौता के माध्यम से निराकृत किया जाना है, जिससे न केवल समय और धन की बचत होगी

बल्कि विवाद की जड़ो में बैठे बैर-भाव और वैमनस्यता का अंत कर पक्षकारों के बीच मधुर संबंधों की पुर्नस्थापना भी संभव हो सकेगी। प्री-सिटिंग के माध्यम से पक्षकारों को समझाईश देने, सुलह के लिए प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थता केन्द्र में उपयुक्त मामलों को स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि, नेशनल लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां विवादों का समाधान त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि, जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर भवन के मध्यस्थता केन्द्र में मामलों का समाधान न्यायाधीश व अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में आपसी सुलह से किया जा रहा है। यह पहल न केवल न्यायिक प्रक्रिया को गति देती है अपितु सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है।